17 (14/14/181) Sh. Rakesh Daultabad (Badshahpur): will the Home Minister be pleased to state:-

a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to introduce any new technology to curb the incidents of online frauds in State; and

b) If so, the details thereof together with the steps taken or likely to be taken by the Government to check the increasing cases of frauds by obtaining bank account details through OTP and other modes on phone calls ?

Home Minister, Haryana.

Reply:

Sir, a statement is laid on the Table of the House.

a) Yes sir

b) The State government has operationalised toll-free helpline number 1930 to help victims of cybercrime get their complaints registered on the portal cybercrime.gov.in, managed by the Ministry of Home Affairs, Govt. of India. Manned with eighteen specially trained policemen and officers, 1930 has been integrated with 112 to widen its reach among general public. A Cyber Forensic Laboratory has also been set up at Panchkula to examine incriminating devices seized by investigating officers of cybercrime. Along with Digital Investigation Training and Analysis Centre (DITAC) at Gurugram, Cyber Forensic Laboratory also conducts regular training programs for policemen and officers in inquiry and investigation of cybercrime. CyCord and CyTrain - portals run by the Ministry of Home Affairs, Govt. of India are being utilized to coordinate with other states in matters related to cybercrime and getting policemen and officials trained in investigation and supervision of cybercrime cases respectively. It is harnessing 'Artificial Intelligence-powered Solution for Telecom SIM Subscriber VeRification' (ASTR) developed by the Department of Telecom, Govt. of India to identify and block SIM cards procured on fake documents and being used for committing cybercrimes. The state police is also a part of two JCCTs (Joint Cybercrime Coordination Center) set up by the Ministry of Home Affairs, Govt. of India to facilitate inter-state coordination against cybercrime. Police department is also considering to increase the number of call lines of cybersecurity helpline number 1930 and set up five additional cyber forensic laboratories across the state.

In addition, the State government has set up 29 cyber police stations to exclusively investigate incidents of cybercrime. Cyber Desks have been set up in all territorial police stations in the state to receive and investigate complaints of cybercrime. These cyber police stations and cyber desks have been manned with over 1000 policemen and officers specially trained in investigation of cybercrime.

To make people aware about cybersecurity, the first Wednesday of every month is observed as cybersecurity awareness day. October 2022 was observed as cybersecurity awareness month. During the month, the state police through direct interaction, engagement programs and mass and social media made aware over seventy lakh people of the state about cybersecurity measures that they should practice to avoid falling prey to cyber thugs.

17 (14/14/181) श्री राकेश दौलताबाद (बादशाहपुर) : गृह मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :-

क) क्या राज्य में ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए कोई नई तकनीक शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और फोन कॉल पर ओटीपी और अन्य तरीकों के माध्यम से बैंक खाता विवरण प्राप्त करके धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने की संभावना है?

<u>गृह मंत्री, हरियाणा।</u>

उत्तर:-

श्रीमान्, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

क) हां श्रीमान् जी।

ख) साइबर अपराध के पीड़ितों की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 संचालित किया जा रहा है, जिसके द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रबंधित पोर्टल **cybercrime.gov.in** पर शिकायत दर्ज करवाई जाती है। 1930 को आम जनता के लिए सुगम बनाने के लिए इसे 112 के साथ एकीकृत किया गया है और इसे विशेष रूप से प्रशिक्षित अठारह पुलिसकर्मियों व अधिकारियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। साइबर अपराध में जाँच अधिकारी द्वारा जब्त किए गए आपत्तिजनक उपकरणों की जाँच करने के लिए पंचकुला में साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला की भी स्थापना की गई है। प्रशिक्षण और विश्लेषण केंद्र **(DITAC),** गुरुग्राम के साथ साइबर फोरेंसिक लैब पंचकुला पुलिसकर्मियों व अधिकारियों के लिए साइबर अपराध में जाँच व अनुसंधान से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी नियमित तौर पर आयोजित करता है। साइकॉर्ड और साइट्रेन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल है, जिनका क्रमश: उपयोग साइबर अपराध से संबंधित मामलों में अन्य राज्यों के साथ समन्वय करने व पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के लिए साइबर अपराध के अनुसन्धान और पर्यवेक्षण के प्रशिक्षण हेतु किया जा रहा है।

राज्य पुलिस दुरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस एवंम् फेसिअल टेलीकॉम सिम साइबर क्राइम वेरिफिकेशन **(ASTR)** का इस्तेमाल कर जाली दस्तावेजों पर खरीदे गये सिम कार्डों को, जिसका इस्तेमाल साइबर क्राइम के लिए किया जाना पाया जाता है, चिन्हित एवम् निष्क्रिय करने के लिए कर रही है।

राज्य पुलिस गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित दो ज्वाइंट साइबर क्राइम को-ओर्डिनेशन सैन्टर **(JCCT)** में भी सम्मिलित है जो साइबर क्राइम के विरुध्द अन्तर्राजीय समन्वय का काम करती है। पुलिस विभाग साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर **1930** के कॉल लाइन की संख्या बढ़ाने एवम् राज्य में पाँच अतिरिक्त साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला बनाने पर विचार कर रही है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने **29** साइबर पुलिस थानों का गठन किया है जहाँ सिर्फ साइबर क्राइम के मामलों का अनुसंधान होता है। सभी पुलिस थानों में साइबर डेस्क की स्थापना की गई है, जहाँ साइबर क्राइम की शिकायत प्राप्त की जाती है और उसका अनुसन्धान होता है। इन साइबर थानों एवम् साइबर डेस्क पर एक हजार से भी उपर साइबर अपराध के अनुसंन्धान मे विशेष रुप से प्रशिक्षित पुलिसकर्मी एवम् अधिकारी लगाये गये हैं।

लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए हर महीने के पहले बुधवार को साइबर सुरक्षा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अक्टूबर, 2022 को साइबर सुरक्षा जागरूकता माह की तरह मनाया गया। इस महीने में जनसम्पर्क, जनसंचार एवम् सोशल मिडिया के माध्यम से सत्तर लाख से भी अधिक लोगो को साइबर सुरक्षा के नियमों से अवगत कराया गया जिसका उपयोग करके साइबर ठगी के शिकार होने से बच सकते हैं ।